

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला।

यादि कमांक 639-व-5-2015/19770
चण्डीगढ़ दिनांक 02-12-15

विषय: **Diversion of 0.0119 ha. of forest land for access to retail outlet of I.O.C. Ltd. along Mahe rdergarh, Sehlang road, km 7-8, R/side at village Malra, under forest division and District Mahendergarh, Haryana. (6427).**

संदर्भ:- आपका पत्र कमांक डी-III-6427/5171, दिनांक 01.12.2015.

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा संदर्भाधीन पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतु **0.0119 ha.** वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है:-

- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- (ii) प्रस्ताव के अनुसार इस स्कीम में 03 वृक्ष बाधक है। अतः 03 वृक्ष से अधिक वृक्ष काटे नहीं जायेंगे।
- (iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **R.F.Salimabad** पर प्रयोक्ता एजैन्सी से प्राप्त 40398/-रु(**Forty thousand three hundred ninety eight only.**) की राशि से 30 पौधे लगा कर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के साथ जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर- हो जाना चाहिए।
- (iv) प्रतिपूर्ति पौधारोपण के साथ-साथ उपर्युक्त पौधारोपण पहुच मार्ग, विभाजन द्वीप व अन्य खाली स्थान पर प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान विनियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (v) प्रवेश एवं निकास को छोड़ कर बाकी हिस्से पर कुछ बुटेदार तथा सजावटी पेड़ पौधे लगाये जाने चाहिए तथा इस भूमि का कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं होना चाहिए और न ही इस पर कोई निर्माण कार्य होना चाहिए।
- (vi) इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त करनी होगी।
- (vii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2014 को जारी दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।
- (viii) पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (**Periphery**) पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर **Light Crown** पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये।
- (ix) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- (x) **Supreme Court** के आदेशानुसार जब कभी भी **NPV** की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढी हुई **NPV** की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी।
- (xi) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- (xii) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- (xiii) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- (xiv) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- (xv) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेगे जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरो पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

- (xvi) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईन्धन उपलब्ध करवायेगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- (xvii) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणि समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- (xviii) स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये कम संख्या वाले 4 फिट उचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जायेगी।
- (xix) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- (xx) अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- (xxi) प्रयोक्ता एजैन्सी उपरोक्त शर्तों की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा को नियमित रूप से भेजेगी।
- (xxii) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेने विभाग की जिम्मेवारी होगी।


11/12/15

विशेष सचिव,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बेज नं0 24-25, सैक्टर-31-ए, चण्डीगढ़।
2. वन मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ़।